

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0,लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक

02 फरवरी 2017

विषय:- जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत पुरानी जी0टी0 रोड का आन्तरिक भाग के किमी0 161.800 से किमी0 180.00 (कोखराज से मनौरी तक) चार लेन के चौड़ीकरण निर्माण में बाधक 1753 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं क्षेत्रफल 17.626 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/06/108/2016/431, दिनांक रहित का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयक प्रकरण में दिनांक 05-01-2017 को सम्पन्न हुई क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार अपेक्षित सूचनायें उपलब्ध कराये जाने की गयी है।

2- विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र में उल्लिखित निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने एवं कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।